No.FCA/ 6015

H.P. Forest Department.

Dated D/Shala, the/ 12 - 02 - 2024/

प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा

From:

D.F.O. Dharamshala.

To C.C.F. (T) Dharamshala.

Subject:-

Diversion of 7.2834 hectare forest land for Rehabilitation and up-gradation to four lane configuration and Strengthening of Sihuni to Rajol from Kms 51.00 to Km 72.00 (Package IIA) (Design Length 18.450 Kms) of NH – 20 (New NH – 154) of Pathankot – Mandi Section in the State of Himachal Pradesh within the jurisdiction of Nurpur, Dharamshala & Dalhousie Forest Divisions in District Kangra & Chamba, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/152261/2022).

Memo:

Please refer to the Govt. of India, MoEF&CC Integrated Regional Office, Shimla letter No. FC/HPC/06/155/2022 dated 05.04.2023 on the subject cited above where in the "Stage I Approval" for diversion of 7.2834 ha. of Forest Land has been accorded. In this regards, it is intimated that the User Agency has submitted the Compliance Report of conditions of Stage I Approval and amount of NPV, CA and SMCP stands deposited in respective heads. The point wise reply of conditions of 'in-Principal' approval are as under:-

क्रमांक संख्या	सैद्धांतिक स्वीकृति कि शर्तें	प्रयोक्ता अभिक्रण द्वारा स्वीकृति / उत्तर
1.	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि वन भूमि की विधिक स्थिति को परिवर्तित नहीं किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाये । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
3.	प्रतिपूरक वनीकरणः (क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 4.17 हैo वन क्षेत्र Block /Compartment / Survey No. UP-26, K-Nerti C7C, Shahpur Forest Range, Dharamshala Forest Division, Distt. Kangra, H.P. तथा 11 हैo वन क्षेत्र Block /Compartment / Survey No. U-84 Dole, C-10, 52D/3 Bhali Block, Kotla Forest Range, Nurpur Forest Division, Distt. Kangra, H.P. में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।	(क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 4.17 हैo वन क्षेत्र Block /Compartment / Survey No. UP-26, K-Nerti C7C, Shahpur Forest Range, Dharamshala Forest Division, Distt. Kangra, H.P. तथा 11 हैo वन क्षेत्र Block /Compartment / Survey No. U-84 Dole, C-10, 52D/3 Bhali Block, Kotla Forest Range, Nurpur Forest Division, Distt. Kangra, H.P. में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशी (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) Rs. 46,13,574/- & Rs. 2,30,679/- (5% Contingency) CAMPA कोष में जमा कर दी गई है। जहां तक व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाएगा।
e	(ख) प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम	प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण की लागत जमा कर दी गई है। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त जो भी प्रावधान शामिल किए जाएंगे

प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।

रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी।

	संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	
4.	शुद्धं वर्तमान मूल्यः- (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08,2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1 /1998-एफ.सी. (Pt.2). दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3 / 2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 5-3/2011-FC (VolI) दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्कता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 7.2834 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	(क) प्रयोक्ता अभिकरण दवारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की निर्धारित राशि रूपए 88,17,679 /- online portal के माध्यम से दिनांक 08.05.2023 को जमा कर दी गयी है।
	(ख). विशेषज्ञ सिमिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	(ख). माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में निर्धारित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि जमा करवाने के लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की गई है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
5.	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना भी सुनिश्चित करेगी।	माननीय उच्चतम न्यायालय. नई दिल्ली के WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी तथा प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
6.	The State Government shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment Area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.	The KML files of the area to be diverted, the CA Areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area will be uploaded on the e-Green watch portal as soon as it is available on the portal At present the proposal is not available / displaying on e-Green portal.
7.	Since the proposed project is located in hilly/slopy area and the proposed area is prone to Soil erosion / landslide, therefore as per the recent directions of MOEF & CC vide letter dated 07 June, 2002 Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage I compliance. However, in cases where it a not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump-sum amount of 0.5% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage-I compliance. The deficit amount, as per sad Plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account prior to actual working on	The Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) has been prepared and same is enclosed herewith. As per the Soil & Moisture Conservation Plan Rs. 47,29,500/- in Nurpur Forest Division, Rs. 33,800/- in Dalhousie Forest Division and Rs. 18,58,400/- in Dharamshala Forest Division, total Rs. 66,21,700/- has been deposited in the CAMPA Account through online mode. The copy of the Soil and Moisture Conservation Plan is enclosed herewith.

	the forest area An Undertaking to this effect may also be submitted.	
8.	State Government shall comply with the Orders of the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh and on dated 13.01.2023 CWPIL NO 13/2021 title as Kusum Bali Vs States and others. Accordingly NOC from PCB shall be submitted before Stage-II approval.	The User Agency has submitted an Undertaking to comply with the Orders of the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh and on dated 13.01.2023 CWPIL NO 13/2021 title as Kusum Bali Vs States and others. The Undertaking in this regard is enclosed herewith. The NOC from the Pollution Control Board is enclosed herewith.
9.	State Government shall ensure that "No extra forest land" shall be proposed in future for dumping of muck produced in this project.	The User Agency has submitted an Undertaking stating that "no extra forest land" will be proposed in future for the dumping of muck produced in this project and same is enclosed herewith.
10.	State Govt shall submit the plantation model mentioning the site specific plant species which have capacity of the absorptions of CO ² and other pollutants along the RoW as per Guidelines of MoEF & CC vide letter no.FC-11/39/2020-FC dated 08.09.2021 before stage-II approval.	The User Agency has submitted a Copy of Plantation Model for absorption of CO ² and other pollutants along the RoW. The copy of the Plantation Model and undertaking in this regard is enclosed herewith.
11.	The State Government shall ensure settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) before issuance of order for diversion at their level.	The User Agency has submitted that the rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 for proposed 7.2834 ha of forest land have been settled. The copy of FRA Certificate is enclosed herewith.
12.	प्रयोक्ता अभिकरण आई०आर०सी० मानदंडों के अनुसार यथासंभव, सड़क के दोनों किनारों पर पौधों कि संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों कि संख्या को बढ़ाया जाएगा । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
13.	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
14.	User agency shall restrict the felling of trees to maximum 2444 Trees (Dharamshala 784 trees, Nurpur 1645 trees and Dalhousie 15 trees) in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department, However, the possibility to reduce the number of tree (Emblica spp., Terminalia spp., Bauhinia spp., Acacia spp., Cordia spp and Ficus spp etc.) must be explored and the State Forest Department shall constitute a Committee comprising Range Officer and Site Engineer In- charge and headed by the DFO concerned. The Committee shall examine the alignment at the time of execution of work and will recommend the removal of trees on case to case basis along the Row of road after looking into the possibility of reducing the total number of trees to be affected. The DFO shall verify the enumeration and accordingly grant felling permission based on the actual requirement. DFO will submit the list of	The User Agency has submitted an Undertaking that felling of trees shall be restricted to maximum 2444 Trees (Dharamshala 784 trees, Nurpur 1645 trees and Dalhousie 15 trees) in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited the State Forest Department. All possibilities will be explored to reduce the felling of Emblica spp., Terminalia spp., Bauhinia spp., Acacia spp., Cordia spp and Ficus spp etc. The Committee comprising of Range Officer and Site Engineer Incharge, headed by the DFO concerned shall examine the alignment at the time of execution of work and will recommend the removal of trees on case to case basis along the Row of road after looking into the possibility of reducing the total number of trees to be affected. The enumeration shall be verified by the DFO concerned and felling permission shall be issued accordingly based on actual requirement. The Undertaking in this regard is enclosed herewith.

trees to IRO Shimla, granted felling permiss on by him and trees to be retained with a period of two (2) months after execution of the Project. The Undertaking for the same duly authenticated by be concerned DFO may be provided. 15. इस अनुमोद में प्रत्यावर्तन की अविध के माय अपना प्रतिक्षत की पूर्ण के प्रक्र में हिल लेकि को जब की गई है कि इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अविध को माय अपवा परियोजना की पूर्ण अविध के साथ अपना परियोजना की एक साथ संकार है। 16. आसावास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुचाया जाएगा। 17. परियोजना के दक्त प्रयोक्त अिक्करण से प्राप्त के के वह पर्मित की अविध के साथ अपना के स्व है पर्मित (https://parives-holicin/) के माध्यम से क्षेत्रियुक्त करीकरण के प्रवेशन और योजना प्राप्तिक पर्ण के इसे स्थानांतरित / जमा किए जाएगे। 18. पर्योक्त प्रयोक्त अभिकरण पर्याक्त प्रवेशन और योजना प्राप्तिक पर्ण के इसे स्थानांतरित / जमा किए जाएगे। 18. पर्योक्त (दिर्प यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। स्वीक कि अनुसार, प्रयोक्त अभिकरण पर्याक्त प्रवेशन और योजना प्रयोक्त अभिकरण के हार इस सन्दर्भ में वचन बढ़ता प्रस्तुत की अविध के साथ अपना के अपना प्रवेशन और योजना प्रयोक्त अभिकरण प्रवेशन और योजना प्रयोक्त अभिकरण प्रवेशन और योजना प्रयोक्त अभिकरण के स्व में स्थानांतरित / जमा किए जाएगा। स्वीक प्रयोक्त (दिर्प यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। 18. पर्योक्त (दिर्प यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। स्वीक पर्याक्त अभिकरण के हारा प्रयोक्त करेगा। स्वीक पर्याक्त अभिकरण के हारा प्रसूत वचन बढ़ता प्रसूत की गई है कि पर्याक्त अभिकरण के स्वार इस सन्दर्भ में वचन बढ़ता प्रसूत की गई है कि पर्याक्त अभिकरण के साथ संत्र है। 19. के इस सरकार की पूर्व मुमति के दिना प्रस्ताव का दे-अलंद करेग के किए से स्व कर के स्व संत्र कर स्व कर स्व कर स्व कर संत्र के स्व संत्र के स्व संत्र के स्व संत्र के साथ संत्र है। 19. के इस सरकार की पूर्व मुमति के दिना प्रसूत कि वचन बढ़ता कि प्रयोक्त अभिकरण हम्य सरव्य के साथ संत्र है। 20. वन भूमि एवं अस्त प्रसूत के स्व संत्र के स्व संत्र के स्व संत्र के साथ संत्र है।	,		
15. इस अनुमोदन में अवर्ष को प्रयोवता अभिकरण के प्रक्ष में मिली लीज की अविष को प्रयोवता अभिकरण के प्रक्ष में मिली लीज की अविष को प्रयोवता अभिकरण के प्रक्ष में मिली लीज की अविष को प्रयोवता अभिकरण के प्रक्ष में मिली लीज की अविष को प्रयोवता अभिकरण के प्रक्ष में मिली लीज की अविष के साथ अपवा परियोजना की पूर्ण अविष के साथ अपवा विष के के वनस्पतियों तथा जीवो को को कहा कुम्मान से अविष्ठ के वनस्पतियों तथा जीवो को को कहा कुम्मान से अविष्ठ के वनस्पतियों तथा जीवो को को कहा कुम्मान से अविष्ठ कर साथ संलग्न है। प्रयोवता अभिकरण से प्राप्त अविष्ठ के माध्यम से अविष्ठ के साथ मंत्र के साथ संलग्न है। प्रयोवता अभिकरण के प्रवास के साथ संलग्न है। प्रयोवता अभिकरण के प्रवास के साथ संलग्न है। प्रयोवता अभिकरण के प्रवास में अव कनस्पतियों तथा जीवो को के माध्यम से अविष्ठ स्व अवस्थित के साथ संलग्न है। प्रयोवता अभिकरण के प्रत्य संलग्न है। प्रयोवता अभिकरण के प्रवास में अव कनस्पतियों तथा जीवो को को कहा कुम्मान संलग्न है। प्रयोवता अभिकरण के प्रवास संलग्न है। प्रयोवता अभिकरण के प्रवास संलग्न है। प्रयोवता अभिकरण के प्रवास को कि अनुसार, प्रयोवता अभिकरण के प्रवास संलग्न है। प्रयोवता आभिकरण से प्रयाव संलग्न है। स्व अवसार के अनुसार, प्रयोवता अभिकरण प्रवास में अवका बढ़ता प्रसूत की गई है के के सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रसाव को ले-अजुत (६८) यदि साल के साथ संलग्न है। प्रयोवता अभिकरण के द्वार सुर्ण के साथ संलग्न है। अपवेता अभिकरण के प्राप्त स्व अविष्ठ से सुर्ण के साथ संलग्न है। प्रयोवता अभिकरण के सुरा सुर्ण के सुरा सुरान अभिकरण है। प्रयोवता अभिकरण के द्वार सुरान के सुरान हम्य सुरान सुरान के सुरान हम्य सुरान हमें सुरान हम्य सुरान हमें के सुरान सुरान अभिकरण के द्वार सुरान के सुरान सुरान		with a period of two (2) months after	
इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि के प्रायं अगिकरण के प्रक में में प्रत्यावर्तन की अवधि के साथ अगिकरण के प्रक में में प्रत्यावर्तन की अवधि के साथ अगिकरण के प्रक में में प्रत्यावर्तन की अवधि के साथ अगिकरण के प्रक में में प्रत्यावर्तन की अवधि के साथ अगिकरण के प्रत में में प्रत्यावर्तन की अवधि के साथ अगिकरण हो प्रत्ये अगिकरण हो में में के में हैं कि असाय में में के में हैं के असाय में में में के में हैं के असाय में में में के में हैं के असाय में के में हैं के असाय में में में हैं के असाय में के में हैं के असाय में के में हैं के असाय में में में के में हैं के असाय में के में हैं के असाय में के में हैं के असाय में के में में बेंचन में के में हैं के असाय में के में हैं के असाय में में में के माध्यम में के में में बेंचन में में के माध्यम में के में में बेंचन में में में बेंचन में			
अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अविष्ठ के साथ अध्येव परियोजना की पूर्ण अविष्ठ के साथ अध्येव परियोजना की पूर्ण अविष्ठ के साथ अध्येव में अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अविष्ठ के साथ अध्येव परियोजना की पूर्ण अविष्ठ के साथ, जो भी कम हो, लिखत किया जाएगा। प्रयोवता अभिकरण हारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिप पत्र के साथ संलग्न है। प्रयोजना अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता के साथ संलग्न है। प्रयोजना के तहत प्रयोवता अभिकरण को प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के होरा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिप पत्र के साथ संलग्न है। प्रयोजना के तहत प्रयोवता अभिकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के से स्थानग्रही स्थानगर्गित / जमा किए जाएंगे। 17. परियोजना के तहत प्रयोवता अभिकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के साथ संलग्न है। प्रयोवता अभिकरण के में स्थानगर्गित / जमा किए जाएंगे। 18. पर्योवता (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधनों के अनुसार, प्रयोवता अभिकरण प्रवावणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। 18. पर्योवता (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधनों के अनुसार, प्रयोवता अभिकरण प्रवावणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। 19. केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रस्ताद का ते-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। 20. वन भूमि एवं आस - पास की भूमि पर कोई भी अभिकरण केंद्र सार सार स्थे में वचन बद्धता प्रस्तुत के साथ संलग्न है। प्रयोवता अभिकरण हारा प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत विभाग अथवा वचन विकार सार सार सार सार में में वचन बद्धता प्रस्तुत विभाव अधिकरण होरा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत विभाव अधिकरण होरा स्था संलग्न है। 21. प्रयोवता अभिकरण हारा मजुदर को राज्य वन विभाग अथवा वे किया प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत विभाग अथवा वचन विकार सार सार सार सार सार सार सार सार सार स			
वहता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में बचन बढ़ता प्रस्तुत की गई कि आसणस के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई तुकसान नहीं पहुवाया जाएगा । प्रियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्रान्त था के वर्ल हैं परिवृद्ध कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है । प्रयोक्ता अभिकरण के व्राप्त था की वर्ण के वर्ण के तथा संलग्न है । प्रयोक्ता अभिकरण के वर्ण के प्रवेद के तथा से का के स्वर्ध में क्षेत्र के वर्ण को प्रवेद प्रस्तुत वचन बढ़ता प्रस्तुत वचन वच्या वचा विभाग अथवा वच विकास निगम अथवा वेकिस्थ वच विभाग अथवा वच विकास निगम अथवा वेकिस्थ वच वच विभाग अथवा वच विकास निगम अथवा वेकिस्थ वच वच विभाग अथवा वच विकास निगम अथवा वक्त विकास विकास वचन वच्या व्याप विकास विकास विकास वचन विकास वचन	15.	अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी	की गई है कि इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ
चुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। 17. परियोजना के तहत प्रयोकता अभिकरण से प्राप्त धन केवल हैं परिलं (https://pariwesh-nicin/) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड की निर्धारित राशि Net Present प्राचना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित / जमा किए जाएगे। 18. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोवता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। 18. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोवता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। 19. केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। 19. केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। 20. वन भूमि एवं आस - पास की भूमि पर कोई भी अमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। 21. प्रयोवता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याद लकड़ी, विशेषत के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याद लकड़ी, विशेषत के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याद लकड़ी, विशेषत के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याद लकड़ी, विशेषत के किस्सक इंधन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याद लकड़ी, विशेषत के किस्सक इंधन उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वेकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्यावर्त की प्रवित्विप पत्र के साथ संलग्न है। प्रयोवता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वेकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्राप्त ते किया जाएगा। प्रयोवत्त तक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्राप्ति त्वार स्थापित तक साथ संलग्न है। प्रयोवता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रवित्विप पत्र के साथ संलग्न है। प्रयोवता अभिकरण के द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रवित्वित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. प			बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
17. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parwesh-nic-in/) के माध्यम से क्षेतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड की निशारित राशि Net Present Value (NPV) Rs. 88,17,679,-679/- (Compensatory Afforestation Rs. 46,13,574/-, Contingency ® 5% on CA Rs. 2,30,679/-, Cost of SMCP Rs. 66,21,700/- only, Total=(88,17,679 + 46,13,574 + 2,30,679 + 66,21,700) = 20,283,632/- online portal के माध्यम से 08 May, 20,23 को जमा कर दी गयी है । प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता के साथ संलग्न है । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है । प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है । प्रयोक्ता अभिकरण हो हार इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है । प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है । प्रयोक्ता अभिकरण है हार इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है । प्रयोक्ता अभिकरण के हारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है । प्रयोक्ता अभिकरण के हारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की पर्च है । प्रयोक्ता अभिकरण के हारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है । प्रयोक्ता कि साथ संलग्न है । प्रयोक्ता अभिकरण के हारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता के साथ संलग्न है । प्रयोक्ता अभिकरण के हारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है । प्रयोक्ता के प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है । प्रयोक्ता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है । प्रयोक्ता अभिकरण के हारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है । प्रयोक्ता कि स्वार्य स	16.		की गई है कि आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवो को कोई नुकसान नहीं पहुचाया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा
प्राध्यम से क्षेतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित / जमा किए जाएंगे 18. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। 18. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। 19. केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। 19. केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। 20. वन भूमि एवं आस - पास की भूमि पर कोई भी अभिक शिवेर स्थापित नहीं किया जाएगा। 21. प्रयोवता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता के तिभा अथवा वन विकास निगम अथवा वेकटियक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याव्त लकड़ी, विशेषतः वैकटियक ईंधन विवास बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। 22. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रयोवता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता किया जाएगा। प्रयोवता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। 22. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रयोवता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। 23. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के उदर कोई अतिरिक्त	17.	केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन
Contingency @ 5% on CA Rs. 2,30,679/-, Cost of SMCP Rs. 66,21,700/- only, Iotal=(88,17,679+46,13,574+2,30,679+66,21,700)=2,02.83,632/- online portal के माध्यम से 08 May, 2023 को जमा कर दी गयी है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। प्रयोवता अभिकरण च्रारा प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि पर्यावरण संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। प्रयोवता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। प्रयोवता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। प्रयोवता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। प्रयोवता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रयोवता अभिकरण के द्वार प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रयोवता अभिकरण के द्वार प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रयोवता अभिकरण के हारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन वचन बद्धता प्रस्तुत वचन वचन बद्		माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और	Value (NPV) Rs. 88,17,679 /
SMCP Rs. 66.21,700/- only, Total=(88,17,679 + 46,13,574 + 2,30,679 + 66,21,700) = 2,02,83,632/- online portal के माध्यम से 08 May, 2023 को जमा कर दी गयी है । पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि भविष्य में लागू होती है तो प्राप्त करेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता के प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि कंद्र सरकार की पूर्वामृति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता के प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कराय वचन विभाग अथवा वच विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तु		1 _	Compensatory Afforestation Rs. 46,13,574/-,
18. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। पर्यावता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता करेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता करेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कर्ण पर्वावरणीय स्विकृति (EC) यदि भविष्य में लागू होती है तो प्राप्तुत वचन बद्धता करिति (EC) यदि भविष्य में लागू होती है तो प्राप्तुत वचन बद्धता करिति (EC) यदि भविष्य में लागू होती है तो प्राप्तुत वचन बद्धता करिति (EC) यदि भविष्य में लागू होती है तो प्राप्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कर्ण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता करिति (EC) यदि भविष्य में लागू होती है तो प्राप्तुत वचन बद्धता करित हो। प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत		जाएंगे	
2.02,83,632/- online portal के माध्यम से 08 May, 2023 को जमा कर दी गयी है । पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। 19. केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। 19. वन भूमि एवं आस - पास की भूमि पर कोई भी अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है के केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। 20. वन भूमि एवं आस - पास की भूमि पर कोई भी अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन वच्चता के साथ संलग्न है। 22. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रयोक्ता अभिकरण द्वार प्रसस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता प्रयोक्त अभिकरण द्वार प्रसस्तु वचन बद्धता प्रयोक्त अभिकरण वचन वेष्याचा वच			· ·
2023 को जमा कर दी गयी है प्रयोवरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। प्रयोवता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। प्रयोवता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। प्रयोवता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। प्रयोवता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। प्रयोवता अभिकरण द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। प्रयोवता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। प्रयोवता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। प्रयोवता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता करवाया जाएगा। प्रयोवता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता करवाया जाएगा। प्रयोवता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता करवाया जाएगा। प्रयोवता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता करवाया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearing अकित हों। प्रयोवता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रयावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलस्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearing अकित किए जाएंगे। प्रयोवता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत की एवं है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निर्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निर्वादन के लिए निर्माण स			1
18. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। 19. केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। 20. वन भूमि एवं आस - पास की भूमि पर कोई भी अभिकरण होरा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता जिण्या। । प्रयोक्ता अभिकरण होरा प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है । 21. प्रयोक्ता अभिकरण होरा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण होरा प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है । 22. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्योक्ता अभिकरण होरा प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिप पत्र के साथ संलग्न है । 22. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्योक्ता अभिकरण होरा प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिप पत्र के साथ संलग्न है । 23. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त की गई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए निर्माण सामग्री के साथ संलग्न है । 23. परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त की गई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण			
के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। 19. केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रस्ताव का ले आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। 20. वन भूमि एवं आस - पास की भूमि पर कोई भी अभिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। 21. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता प्रभिक्त शाविर स्थापित नहीं किया जाएगा। 21. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। 22. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित हों। 23. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त की गई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण प्राप्ती अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के परिवहन के लिए वन के अंदर कोई अतिरिक्त की परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त की गई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त की गई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण	18.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६ के प्रावधानों	
प्रविकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। प्रविकृति (EC) यदि भविष्य में लागू होती है तो प्राप्त करेगा। प्रयोवता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न हो विष्य जाएगा। प्रयोवता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता प्रम्तुत वचन बद्धता प्रम्तुत वचन बद्धता प्रम्तुत वचन बद्धता प्रम्तुत वचन बद्धता जाएगा। प्रयोवता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। प्रयोवता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता के प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। प्रयोवता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता के प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। प्रयोवता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता के प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। प्रयोवता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता के प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। प्रयोवता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता के पर्वाद लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रयोवता अभिकरण ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रयोवता अभिकरण के द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता क्रिप्तिच पत्र के साथ संलग्न है। प्रयोवता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण साम			9
प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। 19. केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रस्ताव का ले- आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। 20. वन भूमि एवं आस - पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। 21. प्रयोक्ता अभिकरण केंद्रारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। 21. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन विया जाएगा। 22. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित हों। 23. परियोजना कार्य के निष्धादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त की गई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण			प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय
के साथ संलग्न है। 19. केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रस्ताव का ले- आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। 20. वन भूमि एवं आस - पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। 21. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। 21. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त तकल्पी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा।। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के पर्वेशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलस द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित किए जाएगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण			
19. केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रस्ताव का ले- आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। 20. वन भूमि एवं आस - पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। 21. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। 22. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्याक्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित हों। 23. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त पर सार्योजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त पर सार्योजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त पर विशेषतः के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त पर्योक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के प्रतेलिप पत्र के साथ संलग्न है। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त पर वार सेन के साथ संलग्न है। प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि साथ संलग्न है। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त			
वन भूमि एवं आस - पास की भूमि पर कोई भी अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिप पत्र के साथ संलग्न है। 21. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन विया जाएगा। 22. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित हों। 23. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र को अंदर कोई अतिरिक्त की गई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त की गई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त	19.		
प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। 20. वन भूमि एवं आस - पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। 21. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। 22. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित हों। 23. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त की गई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण		आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	
वन भूमि एवं आस - पास की भूमि पर कोई भी अमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। वेकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। वेकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित हों। परियोजना कार्य के निध्यादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त की गई है कि परियोजना कार्य के निध्यादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निध्यादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निध्यादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निध्यादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निध्यादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निध्यादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निध्यादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निध्यादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निध्यादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के			
श्रीमेक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। वी गई है कि वन भूमि पर कोई भी श्रीमेक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता प्रस्तुत प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिल्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित हों। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त की गई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण	 		
नहीं किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित हों। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरेक्त की गई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण	20.		1
बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। 21. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा। 22. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित हों। 23. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त की गई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री की परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री की परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री की परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री की परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री की परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री की परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री की परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री की परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण		त्रामक शिवर स्वापत नहां किया जाएगा।	
प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। 22. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित हों। 23. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री की परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री की परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री की परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री की परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री की परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री की परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री की परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण			
विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। 22. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित हों। 23. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण	21.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन	
विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित हों। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित हों। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त की गई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण			की गई है कि मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास
जाएगा । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिप पत्र के साथ संलग्न है । 22. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित हों । 23. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त की गई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण			निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से
प्रितेलिप पत्र के साथ संलग्न है। 22. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्योक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित हों। 33. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त की गई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण		विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	
संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत प्रयावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित हों। 3. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त की गई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण			
प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित हों। 13. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त की गई है कि संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री प्रयोक्ता पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा जाएंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री की गई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण		गंबंधिन का गंबन अधिकारी के भिर्माण	
पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित हों। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित हों। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित किए जाएंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त की गई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण	22.		
जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित हों। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित किए जाएंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त की गई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण			
अंकित हों। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित किए जाएंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। 23. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त की गई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण			
जाएंगे । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है । 23. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त की गई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण			'
परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त की गई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण			
के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त की गई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण			
	23.		
या नया माग नहां बनाया जाएगा। सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त			
		या नया माग नहां बनाया जाएगा।	सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त

		();
		या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
24.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	की गई है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
25.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	की गई है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रत्यावर्तन
26.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय- समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय - समय पर जो भी निर्धारित शर्तें लागू होंगी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनका पालन किया जायेगा । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
27.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित अधिकतर मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा नही फेंका जाएगा । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
28.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद्र / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा ली जाएगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
29.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण पन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-12/2017- FC दिनांक 28.01.2018 को अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
30.	सम्पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/ पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल के माध्यम से (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड कर दी गई है । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।

It is therefore, requested that the necessary Final Approval for the diversion of 7.2834 ha of forest land for the construction of above mentioned project may kindly be obtained from the Govt. of India under Forest (Conservation) Act, 1980 and conveyed to this office.

Encl: As above

Divisional Forest Officer Foresional Somest Officer, Dharemshala Forest Division,

Dharamshala.



(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India) परियोजना कार्यान्वयन इकाई पालमपुर Project Implementation Unit - Palampur



NHAI/PIU-PALM/HP/11016/12/Forest-IIA/2023-24/ 3950

30, Nov, 2023

To

Divisional Forest Officer, Dharamshala, Forest Division, Distt. Kangra (H.P.)

Subject:-

Diversion of 7.2834 hectare forest land for Rehabilitation and up-gradation to four lane configuration and Strengthening of Sihuni to Rajol from Kms 51.00 to Km 72.00 (Package IIA) (Design Length 18.450 Kms) of NH – 20 (New NH – 154) of Pathankot – Mandi Section in the State of Himachal Pradesh within the jurisdiction of Nurpur, Dharamshala & Dalhousie Forest Divisions in District Kangra & Chamba, Himachal Pradesh. (Online **Proposal No.** FP/HP/ROAD/152261/2022).

FI/III/ROZ

Sir,

Please refer to the Govt. of India, MoEF&CC Integrated Regional Office, Shimla letter No. FC/HPC/06/155/2022 dated 05.04.2023 on the subject cited above where in the "Stage I Approval" for diversion of 7.2834ha. of Forest Land has been accorded. In this regards, it is intimated that the amount of NPV, CA and SMCPstands deposited in respective heads. The detail of same along with point wise reply to the conditions of 'in-Principal' approval are as under:-

क्रमांक सैद्धांतिक स्वीकृति कि शर्ते प्रयोक्ता अभिकर संख्या		प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वीकृति / उत्तर	
1,	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी	प्रयोक्ताअभिकरण यह वचन बद्धता प्रस्तुत करती है कि वन भूमि की विधिक स्थिति को परिवर्तित नहीं किया जाएगा।	
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ताअभिकरण यह व प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद परियोजना के लिए आव ही वन भूमि सौंपी जाएगी। अभिकरण को सौंपे जाने		प्रयोक्ताअभिकरण यह वचन बद्धता प्रस्तुत करती है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाये।	
3.	प्रतिपूरकवनीकरणः (क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 4.17 हैo वन क्षेत्र Block /Compartment / Survey No. UP-26, K-Nerti C7C, Shahpur Forest Range, Dharamshala Forest Division, Distt. Kangra, H.P. तथा 11 हैo वन क्षेत्रBlock /Compartment / Survey No. U-84 Dole, C-10, 52D/3 Bhali Block, Kotla Forest Range, Nurpur Forest Division, Distt.	(क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 4.17 है o वन क्षेत्र Block / Compartment / Survey No. UP-26, K-Nerti C7C, Shahpur Forest Range, Dharamshala Forest Division, Distt. Kangra, H.P. तथा 11 है o वन क्षेत्र Block / Compartment / Survey No. U-84 Dole, C-10, 52D/3 Bhali Block, Kotla Forest Range, Nurpur Forest Division, Distt. Kangra, H.P. मेंप्रतिपूरक वनीकरणिकया जाएगा । एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशी (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) Rs. 46,13,574/-&	



(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India) परियोजना कार्यान्वयन इकाई पालमपुर Project Implementation Unit – Palampur



Kangra, H.P. मेंप्रतिपूरक वनीकरणकिया जाएगा 1 जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए । Rs. 2,30,679/- (5% Contingency)जमा कर दी गई है।

(ख)प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण की लागत जमा कर दी गई है। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त जो भी प्रावधान शामिल किए जाएगे प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होंगे। इस आषय में वचनबद्धता प्रस्तुत है।

शुद्ध वर्तमान मूल्य:-

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08,2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1 /1998-एफ.सी. (Pt.2). दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3 / 2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 5-3/2011-FC (Vol.-I) दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्कता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 7.2834 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख).विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का

(क) प्रयोक्ताअभिकरण दवारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की निर्धारित राशि रूपए 88,17,679/-online portal के माध्यम से दिनांक 08.05.2023 को जमा कर दी गयीहै

(ख).माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में निर्धारित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि जमा करवाने के लिए प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है । इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है ।



(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत मरकार)

National Highways Authority of India (Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India) परियोजना कार्यान्वयन इकाई पालमपुर Project Implementation Unit – Palampur



Project implementa		tion Unit - Palampur	
	एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा ।		
5.	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के WP (C) No.202/1995के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना भी सुनिश्चित करेगी।	माननीयउच्चतमन्यायालय. नईदिल्लीके WP (C) No.202/1995के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चितकी जाएगी तथा प्रयोक्ताअभिकरणकोमान्यहोगी।	
6.	The State Government shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment Area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.	The KML files of the area to be diverted, the CA Areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area will be uploaded on the e-Green watch portal as soon as it is available on the portal. At present the proposal is not available / displaying on e-Green portal.	
7.	Since the proposed project is located in hilly/slopy area and the proposed area is prone to Soil erosion / landslide, therefore as per the recent directions of MOEF & CC vide letter dated 07 June, 2002Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage I compliance. However, in cases where it a notpossible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump-sum amount of 0.5% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along withthe Stage-I compliance. The deficit amount, as	The Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) has been prepared and same is enclosed herewith. As per the Soil & Moisture Conservation Plan Rs. 47,29,500/- in Nurpur Forest Division, Rs. 33,800/- in Dalhousie Forest Division and Rs. 18,58,400/- in Dharamshala Forest Division, total Rs. 66,21,700/- has been deposited in the CAMPA Account through online mode. The copy of the Soil and Moisture Conservation Plan is enclosed herewith.	



(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत मरकार)

National Highways Authority of India (Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India) परियोजना कार्यान्वयन इकाई पालमपुर Project Implementation Unit – Palampur



	per sad Plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account prior to actual working on the forest area An Undertaking to this effect may also be submitted.	
8.	State Government shall comply with the Orders of the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh and on dated 13.01.2023 CWPIL NO 13/2021 title as Kusum Bali Vs States and others, Accordingly NOC from PCB shall be submitted before Stage-II approval.	The User Agency shall comply with the Orders of the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh and on dated 13.01.2023 CWPIL NO 13/2021 title as Kusum Bali Vs States and others. An Undertaking in this regard is enclosed herewith. The NOC from the Pollution Control Board is enclosed herewith.
9.	State Government shall ensure that "No extra forest land" shall be proposed in future for dumping ofmuck produced in this project.	The Undertaking stating that "no extra forest land" will be proposed in future for the dumping of muck produced in this project is enclosed herewith.
10.	State Govt shall submit the plantation model mentioning the site specific plant species which havecapacity of the absorptions of CO ² and other pollutants along the RoW as per Guidelines of MoEF & CCvide letter no.FC-11/39/2020-FC dated 08.09.2021 before stage-II approval.	The Copy of Plantation Model for absorption of CO ² and other pollutants along the RoW is enclosed herewith. An undertaking in this regard is enclosed herewith.
11.	The State Government shall ensure	settled. The copy of FRA Certificate is
12.	प्रयोक्ता अभिकरण आई०आर०सी० मानदंडों के अनुसार यथासंभव,सड़क के दोनों किनारों पर पौधों कि संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है किआईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों कि संख्याको बढ़ाया जाएगा ।इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है ।
13.	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	



(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India) परियोजना कार्यान्वयन इकाई पालमपुर Project Implementation Unit – Palampur



14.

User agency shall restrict the felling of trees to maximum 2444 Trees (Dharamshala 784 trees, Nurpur 1645 trees and Dalhousie 15 trees) in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department, However, possibility to reduce the number of tree (Emblica spp., Terminalia spp., Bauhinia spp., Acacia spp., Cordia spp and Ficus spp etc.) must be explored and the State Forest Department shall constitute Committee comprising Range Officer and Site Engineer In-charge and headed by the DFO concerned. The Committee shall examine the alignment at the time of execution of work and will recommend the removal of trees on case to case basis along the Row of road after looking into the possibility of reducing the total number of trees to be affected. The DFO shall verify the enumeration and accordingly grant felling permission based on the actual requirement. DFO will submit the list of trees to IRO Shimla, granted felling permission by him and trees to be retained with a period of two (2) months after execution of the Project. Undertaking for the same duly authenticated by the concerned DFO may be provided.

It is hereby undertaken that felling of trees shall be restricted to maximum 2444 Trees (Dharamshala 784 trees, Nurpur 1645 trees and Dalhousie 15 trees) in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees deposited the State shall Department. All possibilities will be explored to reduce the felling of Emblica spp., Terminalia spp., Bauhinia spp., Acacia spp., Cordia spp and Ficus spp etc. The Committee comprising of Range Officer and Site Engineer In- charge, headed by the DFO concerned shall examine the alignment at the time of execution of work and will recommend the removal of trees on case to case basis along the Row of road after looking into the possibility of reducing the total number of trees to be affected. The enumeration shall be verified by the DFO concerned felling permission shall be issued accordingly based on actual requirement. The Undertaking in this regard is enclosed herewith.

15.

इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।

प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा ।इस आशय की वचनबद्धता



(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India (Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India) परियोजना कार्यान्वयन इकाई पालमपुर Project Implementation Unit – Palampur



		पत्र के साथ संलग्न है ।
16.	आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवो को कोई नुकसान नहीं पहुचाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवो को कोई नुकसान नहीं पहुचाया जाएगा ।इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
17.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/)के माध्यम सेक्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे	प्रयोक्ता अभिकरण दवारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड की निर्धारित राशि Net Present Value (NPV) Rs.88,17,679/ Compensatory Afforestation Rs.46,13,574/-, Contingency @ 5% on CA Rs.2,30,679/-, Cost of SMCP Rs.66,21,700/-only, Total=(88,17,679+46,13,574+2,30,679 + 66,21,700)=2,02,83,632/- online portal के माध्यम से 08May, 2023 कोजमा कर दी गयी है।
18.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्तकरेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि भविष्य में लागू होती है तो प्राप्त करेगा।इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
19.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है किकेंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रस्ताव का ले- आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
20.	वन भूमि एवं आस - पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है किवन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
21.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसीअन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	किमजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसीअन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधनउपलब्ध करवाया जाएगा ।इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है ।
22.	संबंधितवन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार,प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।जिस पर Forward/ Backward bearing	कि संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार,प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा



(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India (Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India) परियोजना कार्यान्वयन इकाई पालसपुर Project Implementation Unit – Palampur



	अंकित हों।	Backward bearing अंकित किए जाएंगे। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
23.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्तया नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्तया नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
24.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतुनहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है ।
25. केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी कि केंद्र सरकार व पिरिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, प्रस्तावित वन भूमि विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं अन्य एजेंसियों, की जाएगी।		प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की करेगी इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
26.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित मेंसमय- समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समयपर जो भी निर्धारित शर्ते लागू होंगी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनका पालन किया जायेगा 1 इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
27.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित अधिकतर मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जाएगा।	the state of the s
28.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद्र / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार प्रयोक्ता एलसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होतेहै तो उनके अधीन जरूरी अनुमतिप्रयोक्ता अभिकरणके द्वारा ली जाएगी ।इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
29.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण पन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल	



(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत मरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India) परियोजना कार्यान्वयन इकाई पालमपुर Project Implementation Unit - Palampur



-0 :	संख्या 11-12/2017- FC दिनांक 28.01.2018 कोअनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	जायेगा ।इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है ।
30.	सम्पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/ पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टलके माध्यम से(https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।

This is for your kind information and further action.

DA/- As above

With Regards,

(Vikas Surjewala GM (T) Cum Project Director

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 1

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha. of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH – 20 (New NH – 154) of Pathankot – Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

I, hereby Undertake that the legal status of the forest land for above mentioned road will not be changed.

Place : Palampur Date : OI 12 2023

Countersigned by:

Vikas Surjewala G.M. / Project Director NHAI, PIU Palampur

District Kanga, (H. P.) Project Director,

N.H.A.I. PIU, Palampur

Dinesh Sharma (HPFS)
(Nodal Officer)
Divisional Forest Officer
Di Pharams Forest Officer
Forest Division
Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 2

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha. of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH – 20 (New NH – 154) of Pathankot – Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

I, hereby Undertake that the possession of forest land diverted will only be taken after the Non Forest Land is transferred in favour of NHAI.

Place: Palampur

Date: 01 12 2022

Countersigned by:

Vikas Surjewala G.M. / Project Director NHAI, PIU Palampur District Kanga, (H. P.)

Project Director,

N.H.A.I. PIU, Palampur

Dinesh Sharma (HPFS)

(Nodal Officer)

Divisional Forest Officer

Dharamshala Forest Division

Daharemah Harest Officer

Forest Division

Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 3 (A)

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha. of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH – 20 (New NH – 154) of Pathankot – Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

I, hereby Submit that Compensatory Afforestation with 10 year maintenance Rs. 46,13,574/- and 5% Contingency on CA Rs. 2,30,679/-, Total Rs. 48,44,253/- has been deposited in the CAMPA Account.

Place : Palampur

Date: 01/12/2023

Countersigned by:

G.M. / Project Director
NHAI, PIU Palampur

Projetrict Kanga (H. P.)

N.H.A.I. PiU, Palampur

Dinesh Sharma (HPFS)

(Nodal Officer)

Divisional Forest Officer

Pharamshata Forest Division

Forest Division Dharamshala

FILE NO

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 3 (B)

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha. of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH – 20 (New NH – 154) of Pathankot – Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

I, hereby undertake to pay the additional cost of CA as per the prevailing wage rates at the time of undertaking the plantation activities in the future.

Place : Palampur Date : 01 12 2023

Countersigned by:

Vikas Surjewala G.M. / Project Director NHAI, PIU Palampur District Kanga, (H. P.) Project Director,

N.H.A.I. PlU, Palampur

Dinesh Sharma (HPFS)

(Nodal Officer)

Divisional Forest Officer
Divisional Forest Division

Forest Division

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 4 (A)

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha. of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH – 20 (New NH – 154) of Pathankot – Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

I, hereby submit that Cost of NPV Rs. 88,17,679/- has been deposited in CAMPA Account.

Place : Palampur

Date: 01 12 2023

Countersigned by:

Vikas Surjewala
G.M. / Project Director
NHAI, PIU Palampur
District Kanga (H. P.)

District Kanga, (H. P.) Project Director,

N.H.A.I. PIU, Palampur

Dinesh Sharma (HPFS) (Nodal Officer)

Divisional Ferres of Officer
Polars monals for est Division
Polars monals for est Division

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 4 (B)

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha, of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH – 20 (New NH – 154) of Pathankot – Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

I, hereby Undertake to pay the additional amount of NPV, if so determined as per decision of the Hon'ble Supreme Court.

Place : Palampur Date : 61 | 12 | 2023

Countersigned by:

Vikas Surjewala G.M. / Project Director NHAI, Plu Palampur District Kanga, (H. P.) Project Director,

N.H.A.I. PIU, Palampur

Dinesh Sharma (HPFS) (Nodal Officer) Divisional Forest Officer

Divistrantalespossesion Foreste Division Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 5

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha. of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH – 20 (New NH – 154) of Pathankot – Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

I, hereby undertake that the we will abide by the orders of the Hon'ble Supreme Court of India in WP(c) No. 202/1995 dated 08.02.2023.

Place: Palampur Date: 61 12 2023

Countersigned by:

Vikas Surjewala G.M. / Project Director NHAI, PIU Palampur District Kanga, (H. P.) Project Director,

N.H.A.I. PIU, Palampur

Dinesh Sharma (HPFS)
(Nodal Officer)
Divisional Forest Officer
Divisional Forest Office Division

Forest Divisionala Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 7

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha. of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH – 20 (New NH – 154) of Pathankot – Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

I, hereby submit that the Cost of Soil and Moisture Conservation Plan amounting to Rs. 66, 21, 700/- has been deposited in the CAMPA account on 08.05.2023. It is further undertaken that any additional amount of SMCP, as decided by the State Govt. / Central Govt. shall be deposited by the User Agency.

Place : Palampur Date : 01 12 2023

Countersigned by:

Vikas Surjewala G.M. / Project Director NHAI, PIU Palampur District Kanga, (H. P.) Project Director,

N.H.A.I. PIU, Palampur

Dinesh Sharma (HPFS) (Nodal Officer) Divisional Forest Officer

Divisional Poles of Officerivision Forest Division

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 8

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha. of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH – 20 (New NH – 154) of Pathankot – Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

It is hereby Undertaken that we will comply with the orders of the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh issued on 13.01.2023 CWPIL Kusum Bali vs States and Others. The NOC from the State Pollution Control Board is enclosed herewith.

Place : Palampur

Date: 61 12 2023

Countersigned by :

Vikas Surjewala G.M. / Project Director NHAI, PIW Palampur District Kanga, (H. P.) Project Director,

N.H.A.I. PiU, Palampur

Dinesh Sharma (HPFS)

(Nodal Officer)

Divisional Forest Officer

Division Dharapehest Offise Division

Forest Breisionia Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 9

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha. of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH – 20 (New NH – 154) of Pathankot – Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

I, hereby Undertake that "No extra forest land" shall be proposed in future for dumping of muck produced from this Project.

Place : Palampur Date : 01 | 12 | 2021

Countersigned by:

Vikas Surjewala G.M. / Project Director NHAI, PIU Palampur District Kanga, (H. P.) Project Director,

N.H.A.I. PIU, Palampur

Dinesh Sharma (HPFS) (Nodal Officer) Divisional Forest Officer

Divisionare pohelet Forting Tivision Forest Programs bala

Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 10

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha. of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH - 20 (New NH -154) of Pathankot - Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

I, hereby submit that Plantation Model for absorption of CO2and other pollutants along the RoW as per Guidelines of MoEF & CC vide letter No. FC-11/39/202-FC dated 08.09.2021 is enclosed herewith.

Place: Palampur Date: 01/12/2013

Countersigned by:

Vikas Surjewala G.M. / Project Director NHAI, Plu Palampur District Kanga, (H. P.) Project Director,

N.H.A.I. PiU, Palampur

Dinesh Sharma (HPFS)

(Nodal Officer)

Divisional Forest Officer
Divisional Forest Division
Forest Division
Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

CHECK LIST SERIAL NUMBER - 34 (f)

PLANTATION MODEL FOR ABSORPTION OF CO2

1.1 INTRUDUCTION

This Chapter deals with Green Corridor planning for the propose road which includes project specific greening program consisting of avenue and median plantations, maintenance and cost estimation.

1.2 OBJECTIVES OF GREEN CORRIDOR PLANTATION PLAN

The green corridor plantation plan intends to make plantation an integral part of highway development process and to develop a systematic framework for integrated green corridor development along National Highways.

The objectives of plantation along the project road are:

- To reduce the impacts of air pollution and dust as trees and shrubs are known to be natural sink for air pollutants
- Provide shade on glaring roads during summer/sunny days
- To reduce the impact of noise pollution caused due to increase in number of vehicles
- To arrest soil erosion at the embankment slopes.
- Prevent glare from the headlight of incoming vehicles
- Moderating the effect of wind,
- Employment opportunities for local people,

Avenue Plantation, Median Plantation and maintenance have been planned in accordance with IRC SP-21:2009 quidelines for tree plantation and landscaping which provide comprehensive guidelines on landscaping of roads with respect to the physiographical, environmental climatic and operational factors

1.3 PROPOSED RIGHT OF WAY

The proposed Right of Way varies and is considered as per the applicable Typical Cross Sections.

The plantation along the road side has been proposed as per the width available after earthwork or toe line.

1.4 PROJECT SITE SCENARIO.

The project road is passing through the districts of Kangrar and Chamba. The terrain of the Kangra district is mostly hilly and undulating Kangra district presents an intricate mosaic of mountain ranges, hills and valleys. The climate of the study area varies from sub-tropical to sub-humid.

1.5 PLATATION PATTERN

As per "Green Highway (Plantation Transplantat on. Beautification and Maintenance). Policy 2015" of Ministry of Road Transport and Highways Government of India, Single row of avenue plantation has been proposed on either side of the project roads at 3 m interval (333 no. trees/km). Therefore, 666 no of trees will be planted on both side of the project roads per km Number of rows of Avenue trees to be planted will depend upon the area available for avenue plantation in PROW Technical specification of avenue plantation is presented in Table 1.1

TABLE 1.1: TECHNICAL SPECIFICATION FOR PLANTATION

Items	Description	
No. of Rows	1 row on each side of road outside drain line	
No. of Trees per km	666 trees / km (both sides)	
Spacing between the plants	3 m	
Size of Pits	60 x 60 x 60 cm	
Height of Plants	1.5 to 2 m	
Age of Plants	Not less than 2 years	

Note:

- Number of rows of trees to be planted per km will depend upon the road width available for avenue plantation in PROW Avenue plantation has not been proposed where available width is less than 1m.from the toe line.
- No median plantation is proposed.

1.6 SELECTION OF SPECIES

Trees, shrubs and grasses are used to enhance the natural ambience of an area. The species for plantation have been decided as per the climate (temperature and rainfall), topography, resistance to pollutants, capacity of the absorptions of CO, and adverse environmental conditions, physical growth characteristics of trees, like form and shape. foliage pattern, canopy type. branching pattern, soil characteristics and conditions of the strip like water logged areas etc. Preference for plantation has been given to native species and provided in the table below:

Sr. No.	Common Name	Botanical Name		
1.	Neem	Azadirachtaindica		
2.	Kachnar	Bauhinia variegata		
3.	Gulmohar	Delonixregia		
4.	Banjh Oak	Quercus leacotrichophora		
5.	Kumkum	Mallotus philippensis		
6.	Babool	Acacia nilotica		
7.	Arjun	Terminalia arjuna		
8.	Amaltaas	Cassia fistula		
9.	Tun	Cedrela toona		
10.	Drek	Melia azadirachta		
11.	Harad	Terminalia chebula		
12.	Shisham	Dalbersia sissoo		
13.	Demur	Ficus roxburghii		
14.	Nepal Black Cedar	Alnus nepalensis		

1.7 COSTING

For the purpose of calculating the cost of plantation along roadside and median with a maintenance period of 5 years, MoRDSOR under MGNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) has been used. The per unit tree cost of plantation and maintenance for 5 years is approximately Rs. 1500. Accordingly, the total cost worked out for the project road is as under.

Cost Component	Length available for Plantation	No. of trees Proposed	Per Unit Cost of Plant	Total Cost (in INR)
Avenue Plantation	18.450	12288	1500	18432000
Overall Cost of Plan	ıtation			1,84,32,000

Place: Palampur Date: 26-01-2023 Vikas Surjewala G.M. / Project Director NHAI, PIU Palampur District Kanga, (H. P.)

Countersigned by:

Dr. Sanjeev Sharma (HPFS) (Nodal Officer) Divisional Forest Officer Dharamshala Forest Division Dharamshala Divisional Forest Officer

Divisional Forest Officer Forest Division Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

<u>UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 11</u>

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha. of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH – 20 (New NH – 154) of Pathankot – Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

I, hereby Undertake that we will abide by the conditions of the FRA, 2006 as per Certificate issued by the District Collector. The Copy of FRA Certificate issued by District Collector is enclosed herewith.

Place : Palampur

Date: 01 12 2023

Countersigned by:

Vikas Šurjewala G.M. / Project Director NHAI, PIU Palampur District Kanga. (H. P.)

District Kanga, (H. P.) Project Director,

N.H.A.I. PIU, Palampur

Dinesh Sharma (HPFS)

(Nodal Officer)

Divisional Forest Officer

Forest Division Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

<u>UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 12</u>

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha. of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH – 20 (New NH – 154) of Pathankot – Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

I, hereby Undertake that Plantation will be done on both sides of the road as per IRC Standards at our own cost.

Place : Palampur

Date: 01/12/2023

Countersigned by:

Vikas Surjewala G.M. / Project Director NHAI, PIU Palampur District Kanga. (H. P.)

Project Di ector,

N.H.A.I. PiU, Palampur

Dinesh Sharma (HPFS)

(Nodal Officer)

Divisional parts of the fer Est Division Dhara has make ala

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 13

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha. of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH - 20 (New NH -154) of Pathankot – Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

I, hereby Undertake that Speed Control Signs will be installed at certain distances.

Place: Palampur

Date: 01/12/2023

Countersigned by:

Dinesh Sharma (HPFS)

Vikas Surjewala

G.M. / Project Director NHAI, PIU Palampur

N.H.A.I. PIU, Palampur

(Nodal Officer)

Divisional Forest Officer
Divisional Forest Division

Forest Danish Shala Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

<u>UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 14</u>

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha. of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH – 20 (New NH – 154) of Pathankot – Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

I, hereby Undertake that minimum felling of trees will be done which will be restricted upto 2444 number of trees. All efforts will be done to minimize the felling of species like Emblica spp., Terminalia spp., Bauhinia spp., Acacia spp., Cordia spp. and Ficus spp. etc. and all trees will be felled after taking approval from the DFO concerned on case to case basis. The Cost of tree cutting will be deposited with State Forest Department.

Dinesh Sharma (HPFS)

Divisional Forest Division

(Nodal Officer)

Dharahasarasaala

Place : Palampur Date : 01 12 2023

Countersigned by:

Vikas Surjewala G.M. / Project Director NHAI, PIU/Palampur District Kanga, (H. P.)

Project Director,

N.H.A.I. PIU, Palampur

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 15

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha. of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH - 20 (New NH -154) of Pathankot - Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

I, hereby Undertake that the total period of diversion will be treated as the period of Diversion as per the proposal submitted online or period of lease in favour of the User Agency, whichever is less.

Place : Palampur Date: 01/12/23

Countersigned by:

Vikas Surjewala G.M. / Project Director NHAL, PIU Palampur District Kanga, (H. P.) Project Director,

N.H.A.I. PIU, Palampur

Dinesh Sharma (HPFS) (Nodal Officer)

Divisional Forest Officer

Dharamshala Forest Division
Forest Division Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 16

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha. of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH – 20 (New NH – 154) of Pathankot – Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

I, hereby Undertake that no harm / damage will be done to the vegetation and animals in the adjacent / surrounding area.

Place : Palampur

Date: 01/12/2023

Countersigned by:

Dinesh Sharma (HPFS)

(Nodal Officer)

Divisional Forest Officer

Dhatafrorast Poffice Division

Vikas Surjewala

G.M. / Project Director

NHAI, PIU Palampur

District Kanga, (H. P.) Project Director,

N.H.A.I. PiU, Palampur

JiesPibininininia Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 17

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha. of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH – 20 (New NH – 154) of Pathankot – Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

I, hereby submit that cost of Net Present Value (NPV) Rs.88,17,679/-, cost of Compensatory Afforestation (CA)Rs.46,13,574/-, Contingency @5% on CA Rs.2,30,679/-, Cost of Soil & Moisture Conservation Plan (SMCP) Rs.66,21,700/-, Total=(88,17,679+46,13,574+2,30,679 + 66,21,700)=2,02,83,632/- has been deposited in CAMPA Account through online portal on 08.05.2023.

Place : Palampur Date : 01 12 200

Countersigned by:

Vikas Surjewala G.M. / Project Director NHAI, PIU Palampur District Kanga, (H. P.) Project Director,

N.H.A.I. PIU, Palampur

Dinesh Sharma (HPFS) (Nodal Officer)

Divisional Forest Officer

Division Dharamehala

Forest Divisionala Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 18

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha. of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH - 20 (New NH -154) of Pathankot – Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

I, hereby Undertake that approval will be taken as per Provisions of Environment (Protection) Act, 1986, if applicable.

Place: Palampur

Date: 01/12/2015

Countersigned by:

G.M. / Project Director NHAI, PIU Palampur District Kanga, (H. P.)

Project Director,

Vikas Surjewala

N.H.A.I. PIU, Palampur

Dinesh Sharma (HPFS)

(Nodal Officer)

Divisional Forest Officer

Dharamshada estection

FoPestapishelan

Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

<u>UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 19</u>

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha. of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH – 20 (New NH – 154) of Pathankot – Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

I, hereby Undertake that the Layout Plan will not be changed without prior Approval / Permission of Central Government.

Place : Palampur Date : 01/12/2024

Countersigned by :

Vikas Surjewala
G.M. / Project Director
NHAI, PIU Palampur
District Kanga, (H. P.)
Project Director,

N.H.A.I. PiJ, Palampur

Dinesh Sharma (HPFS)
(Nodal Officer)
Divisional Forest Officer
Divisional Forest Officer
Forest Division

Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

<u>UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 20</u>

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha. of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH – 20 (New NH – 154) of Pathankot – Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

I, hereby Undertake that no labour camps will be established / installed on forest land.

Place : Palampur Date : 6/12/2023

Countersigned by:

District Kanga, (H. P.)
Project Director,

N.H.A.I. PiU, Palampur

G.M. / Project Director

NHAI, Plu Palampur

Vikas Suriewala

Dinesh Sharma (HPFS)

(Nodal Officer)

Divisional Forest Officer

Divis Poles For Father For Formation

Forest Divisiona Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 21

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha. of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH – 20 (New NH – 154) of Pathankot – Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

I, hereby Undertake that fuelwood from Forest Corporation or any other legal source, especially alternate fuel will be provided to the labour.

Place : Palampur

Date: 01/11/2025

Countersigned by:

Vikas Surjewala G.M. / Project Director NHAI, PIU Palampur District Kanga, (H. P.) Project Di ector,

N.H.A.I. PiU, Palampur

Dinesh Sharma (HPFS)

(Nodal Officer)

Divisional Forest Officer
Divisional Anglesia Forest Division

Foresti Divisionala Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

<u>UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 22</u>

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha. of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH – 20 (New NH – 154) of Pathankot – Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

I, hereby Undertake that RCC Pillars will be installed at the boundary of diverted forest land under the supervision of Forest Department with Forward / Backward bearing at our own cost.

Place : Palampur

Date: 01/12/2025

Countersigned by :

Vikas Surjewala G.M. / Project Director NHAI, Plu Palampur

District Kanga, (H. P.) Project Director,

N.H.A.I, PiU, Palampur

Dinesh Sharma (HPFS) (Nodal Officer)

Divisional Forest Officer Divisional Forest Division

Forest Dayision ala Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 23

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha. of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH – 20 (New NH – 154) of Pathankot – Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

It is hereby submitted that no alternate road will be constructed for carriage of material in the forest land during the execution of the proposal.

Place : Palampur

Date: 01/12/2025

Countersigned by:

Vikas Surjewala G.M. / Project Director NHAI, PIO Palampur District Kanga, (H. P.) Project Director,

N.H.A.I. PiU, Palampur

Dinesh Sharma (HPFS) (Nodal Officer)

Divisional Forest Division

Forest Division Shala

Dharamshala

Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 24

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha. of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH – 20 (New NH – 154) of Pathankot – Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

I, hereby Undertake that the Forest Land will be used only for the purpose specified in the proposal and no other activities will be undertaken in the diverted forest land.

Place : Palampur

Date: 01 12/2024

Countersigned by:

Vikas Surjewala G.M. / Project Director NHAI, PIU Palampur District Kanga (H. P.)

N.H.A.I. PiU, Palampur

Dinesh Sharma (HPFS)

(Nodal Officer)

Divisional Forest Officer

Divisional Forest Office Ivision

Foresti Divisiona
Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 25

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha, of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH - 20 (New NH -154) of Pathankot - Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

I, hereby Undertake that the diverted forest land will not be transferred to any other Agency / Department or Person without prior Approval of Central Government.

Place: Palampur Date: 0/ 12/2025

Countersigned by:

Vikas Surjewala G.M. / Project Director NHAI, PIU Palampur District Kanga, (H. P.) Project Director,

N.H.A.I. PIU, Palampur

Dinesh Sharma (HPFS) (Nodal Officer)

Divisional Forest Officer
Divisional Forest Division

Foresh Divisiona Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 26

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha. of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH – 20 (New NH – 154) of Pathankot – Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

I, hereby Undertake that we will abide by all the conditions imposed by Ministry of Environment, Forest & Climate Change from time to time for the protection and development of Forest and Wildlife.

Place : Palampur
Date : 0//12/2014

Countersigned by:

Vikas Surjewala G.M. / Project Director NHAL, PlU Palampur District Kanga, (H. P.) Project Director,

N.H.A.I. PIU, Palampur

Dinesh Sharma (HPFS)
(Nodal Officer)
Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Divisionalanguest Officer
Forest Division

Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 27

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha. of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH – 20 (New NH – 154) of Pathankot – Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

It is hereby undertakenthat muck will be disposed-off within the diverted land and no muck will roll down the hillside or disposed alongside the proposed area.

Place : Palampur

Date: 61 12 2025

Vikas Surjewala G.M. / Project Director NHAI, PIU Palampur

District Kanga, (H. P.) Project Director,

N.H.A.I. PiJ, Palampur

Countersigned by:

Dinesh Sharma (HPFS)

(Nodal Officer)

Divisional Forest Officer

Divisional Fights Present

Forest Divisingla Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 28

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha. of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH - 20 (New NH -154) of Pathankot - Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

I, hereby Undertake that if any provisions of related Act / Article / Rule / Court Order / Instruction are applicable to this proposal, necessary NOC / Permission will be taken by us.

Place: Palampur Date: 01/12/2013

Countersigned by:

Vikas Surjewala G.M. / Project Director NHAI, PIU Palampur District Kanga, (H. P.) Project Director,

N.H.A.I. PIU, Palampur

Dinesh Sharma (HPFS)

(Nodal Officer)

Divisional Forest Officer

Division Sharanshare Confectivision

Forestapanishota Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 29

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha. of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH – 20 (New NH – 154) of Pathankot – Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

I, hereby Undertake that we will abide by all the conditions of the "In-Principle Approval" and no violation of Forest (Conservation) Act, 1980 will be done during the construction of road.

Place : Palampur Date : 01 | 12 | 1521

Countersigned by:

Vikas Surjewala
G.M. / Project Director
NHAI, PIU Palampur
District Kanga, (H. P.)
Project Director,

N.H.A.I. P.J, Palampur

Dinesh Sharma (HPFS) (Nodal Officer)

Divisional Forest Officer Divisional Install Forest Division

ForeshDarishala Dharamshala

FILE NO.

: FP/HP/Road/152261/2022

DATE OF PROPOSAL

: 15.07.2022

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 30

It is to certify that I, Vikas Surjkewala, Project Director, PIU, National Highway Authority of India Palampur, District Kangra (H.P.) - 176061, have applied for diversion of 7.2834Ha. of forest area for Rehabilitation and Up-gradation to Four Lane Configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol (Package IIA) from Km 51.00 to Km 72.00 (Design Length 18.450 Km) of NH - 20 (New NH -154) of Pathankot - Mandi Section in the state of Himachal Pradesh.

I, hereby Undertake to upload the Compliance Report of Stage I Approval on e-Portal (https://parivesh.nic.in/).

Place: Palampur

Date: 01/12/2013

Countersigned by:

Dinesh Sharma (HPFS)

G.M. / Project/Director

NHAI, PIU Palampur

District Kanga, (H. P.) Project Director,

N.H.A.I. P.J. Palampur

(Nodal Officer)

Divisional Forest Officer
Divisional Forest Officer
Forest Division
Forest Division
Divisional Forest Division
Divisional Forest Division
Divisional Forest Division



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India) परियोजना कार्यान्वयन इकाई पालमपुर Project Implementation Unit – Palampur



NHAI/PIU-PALM/HP/11016/12/Forest-IIA/2024-25/5443

b Sep, 2024

To,

Divisional Forest Officer, Dharamshala Forest Division, Dharamshala

Subject: Diversion of 7.2834 hectare forest land for Rehabilitation and up-gradation to four lane configuration and Strengthening of Sihuni to Rajol from Kms 51.00 to Km 72.00 (Package IIA) (Design Length 18.450 Kms) of NH – 20 (New NH – 154) of Pathankot – Mandi Section in the State of Himachal Pradesh within the jurisdiction of Nurpur, Dharamshala& Dalhousie Forest Divisions in District Kangra & Chamba, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/152261/2022).

Dear Sir,

Kindly refer to the observations raised by the Regional Office, MoEF&CC, Shimla vide letter No. FC/HPB/06/155/2022 dated 11.05.2024 on the subject cited above.

- **2.** In this regard it is submitted that the NOC issued by H.P. State Pollution Control Board, District Kangra and Chamba are enclosed herewith for your kind reference.
- **3.** So you are requested to reconsider our Proposal for Diversion of 7.2834 ha of forest land for above said Proposal.

Yours faithfully,

(Vikas Surjewala)

GM (T) cum Project Director NHAI, PIU Palampur, District Kanga, (H. P.)



H.P. STATE POLLUTION CONTROL BOARD "Him Parivesh Bhawan", Regional Office Dharamshala Near GSSS, Dari, Tehsil Dharamshala, Distt.-Kangra (H.P.), PIN 176057 Phone No. 01892-222628

Website: http://hppcb.nic.in

e-mail: pcbrojassur a gmail.com

No: - PCB/Non Polluting (118) /RO (D/sala)/2024- 3793-950ated: 20 108 12024

The GM (T) Cum Project Director.

National Highways-Authority of India,
(Ministry of Raod Transport and Highways, Govt of India).

Tehsil Palampur, Distt. Kangra, H.P.

Sub: -

Diversion of 7.2834 Hects of Forest land for rehabilitation and upgradation to Four Lane configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol from Kms 51.00 to Kms 72.00 (Package IIA) (Design Length 18.450 Kms) of Nh-20 (New NH-154) of Pathankot-Mandi section in the State of Himachal Pradesh within the jurisdiction of Nurpur, Dharamshala & Dalhousie Forest Division in Distt. Kangra & Chamba, Himachal Pradesh.

Sir.

With reference to the letter no. NHAI/PIU-PALM/HP/11017/PKG-IIA/06/For Clear/2024-25/5378, dated 24-08-2024 received on dated 24-08-2024 from GM (T) Cum Project Director, National Highways Authority of India, PIU Palampur, Tehsil Palampur, Distt. Kangra. H.P., vide which they have applied for the NOC for Diversion of 7.2834 Hects of Forest land for rehabilitation and upgradation to four lane configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol from Kms 51.00 to kms 72.00 (Package IIA) (Design Length 18.450 Kms) of NH-20 (New NH-154) of Pathankot-Mandi section in the State of Himachal Pradesh on Hybrid Annuity Mode (HAM) as per the revenue record provided (detailed attached as Annexure-A) as submitted by NHAI for the diversion of 7.2462 Hect of land out of total 7.2834 Hect falling in Distt. Kangra in favour of National Highways Authority of India, office at Chimbalhaar. Tehsil Palampur. Distt. Kangra, H.P. for rehabilitation and upgradation to four lane configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol. The Stage-I approval has already been granted vide no. FC/HPC/06/155/2022. dated 05-04-2023 for the diversion of 7.2834 Hect of forest land within the jurisdiction of Nurpur, Dharamshala and Dalhousie Forest Division. Further as per the copy of letter submitted by NHAI issued by DIGF(C), MoEF & CC, Sub Office Shimla vide no. nil, dated 11-05-2024 an observation has been raised from their office to stating "State Govt. shall provide/upload the NOC from SPCB for the extant proposal duly authenticated by DFO concerned." The State Pollution Control Board has no objection if the said land falling in Distt. Kangra is diverted in favour of National Highways Authority of India, subject to the following conditions:

(i) Prior consent of the State Board shall be obtained before undertaking any steps to establish the project under Water Act, 1974 and/or Air Act, 1981, as the case may be.

- (ii) Transfer of land shall be governed only by the regulations and provisions prescribed by Revenue/Forest Department and this NOC alone shall not entitle the applicant to purchase/acquire land.
- (iii) NOC so issued shall not confer any right on the applicant to establish the project unless the Revenue/Forest Department has actually allowed the acquisition of land.
- (iv) This NOC is subject to prior forest clearance, if any required.
- (v) The proponent shall maintain noise level equal to or less than the standard prescribed under Env. Protection Rules. 2016 for sensitive areas near its boundary walls.
- (vi) The project proponent shall provide proper scientific system for the disposal of domestic effluent, kitchen waste water and Municipal Solid Waste, if any.
- (vii) During the leveling if any muck is generated, the same should be stored/stacked/back filled scientifically alongwith the provision of toe walls, as required.
- (viii) No muck shall be dumped adjoining to water bodies and it shall be ensured that muck should be stored/disposed off in the designated dumping sites.

Encls: Annexure-A

Yours faithfully.

Er. Varun Gupta Asstt. Environmental Engineer, HPSPCB

Copy to:

- The Divisional Forest Officer, Dharamshala, Tehsil Dharamshala. District Kangra H.P. for information and necessary action please.
- The Divisional Forest Officer, Nurpur, Tehsil Nurpur, District Kangra H.P. for information and necessary action please.

Er. Varun Gupta

Asstt. Environmental Engineer, HPSPCB

Divisional Forest Officer creet Division Dhatamshala



H.P STATE POLLUTION CONTROL BOARD

VPO Rajpura, Tehsil & District Chamba H.P 176310 Phone no. 01899-237426

Website: http://hppcb.nic.in

e-mail: pcbrochamba1@gmail.com

No: - PCB/NOC 118 /RO (CBA)/2024-

600 - 601

Date: 31/08/2024

The GM (T) Cum Project Director, National Highways-Authority of India, (Ministry of Raod Transport and Highways, Govt of India). Tehsil Palampur, Distt. Kangra, H.P.1

Sub: -

Diversion of 7.2834 Hects of Forest land for rehabilitation and upgradation to Four Lane configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol from Kms 51.00 to Kms 72.00 (Package IIA) (Design Length 18.450 Kms) of Nh-20 (New NH-154) of Pathankot-Mandi section in the State of Himachal Pradesh within the jurisdiction of Nurpur, Dharamshala & Dalhousie Forest Division in Distt. Kangra & Chamba, Himachal Pradesh.

Sir,

With reference to the letter no. NHAI/PIU-PALM/HP/11017/PKG-IIA/06/For Clear/2024-25/5393, dated 29-08-2024 received on dated 24-08-2024 from GM (T) Cum Project Director, National Highways Authority of India, PIU Palampur, Tehsil Palampur, Distt. Kangra, H.P., vide which they have applied for the NOC for Diversion of 7.2834 Heets of Forest land for rehabilitation and up gradation to four lane configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol from Kms 51.00 to kms 72.00 (Package IIA) (Design Length 18.450 Kms) of NH-20 (New NH-154) of Pathankot-Mandi section in the State of Himachal Pradesh on Hybrid Annuity Mode (HAM) as per the revenue record provided as submitted by NHAI for the diversion of 0.0372 Hect of land out of total 7.2834 Hect falling in Distt. Chamba (Village Hatli) in favour of National Highways Authority of India, office at Chimbalhaar, Tehsil Palampur, Distt. Kangra, H.P. for rehabilitation and upgradation to four lane configurations & Strengthening of Sihuni to Rajol. The Stage-I approval has already been granted vide no. FC/HPC/06/155/2022, dated 05-04-2023 for the diversion of 7.2834 Hect of forest land within the jurisdiction of Nurpur, Dharamshala and Dalhousie Forest Division. Further as per the copy of letter submitted by NHAI issued by DIGF(C), MoEF & CC, Sub Office Shimla vide no. nil, dated 11-05-2024 an observation has been raised from their office to stating "State Govt. shall provide/upload the NOC from SPCB for the extant proposal duly authenticated by DFO concerned." The HP State Pollution Control Board Chamba has no objection if the said land falling in Distt. Chamba is diverted in favor of National Highways Authority of India, subject to the following conditions:

- (i) Prior consent of the State Board shall be obtained before undertaking any steps to establish the project under Water Act, 1974 and/or Air Act, 1981, as the case may be.
- (ii) Transfer of land shall be governed only by the regulations and provisions prescribed by Revenue/Forest Department and this NOC alone shall not entitle the applicant to

- (iii) NOC so issued shall not confer any right on the applicant to establish the project unless the Revenue/Forest Department has actually allowed the acquisition of land.
- (iv) This NOC is subject to prior forest clearance, if any required.
- (v) The proponent shall maintain noise level equal to or less than the standard prescribed under Env. Protection Rules, 2016 for sensitive areas near its boundary walls.
- (vi) The project proponent shall provide proper scientific system for the disposal of domestic effluent, kitchen waste water and Municipal Solid Waste, if any.
- (vii) During the leveling if any muck is generated, the same should be stored/stacked/back filled scientifically along with the provision of toe walls, as required.
- (viii) No muck shall be dumped adjoining to water bodies and it shall be ensured that muck should be stored/disposed off in the designated dumping sites.

Yours faithfully

Er. Rahul Sharma Asstt. Environmental Engineer HPSPCB, Chamba

Copy to:

 The Divisional Forest Officer, Dalhousie, Tehsil Dalhousie, District Chamba H.P. for information and necessary action please.

> Er. Rahul Sharma Asstt. Environmental Engineer HPSPCB, Chamba

Crest Division

Oharamshala